बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना–800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, https//: bsea.bihar.gov.in, Email: bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक: 04-11-26

अधिसूचना

संख्या– नि०प्रा०/नि. 1–04/2026.2493 प्राधिकार की अधिसूचना संख्या– 1803 दिनांक 27.07.2026 द्वारा **भगवानपुर प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि0, प्रखंड– भगवानपुर हाट, जिला– सीवान** के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। मतदाता सूची पर विवाद के कारण उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचना संख्या– 2059 दिनांक 28.08.2026 द्वारा स्थगित किया गया था। निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन के पूर्व नामांकन, संवीक्षा एवं अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। प्राधिकार के पत्रांक 2487 दिनांक 02.11.2026 द्वारा मतदाता सूची विवाद का निष्पादन हो चुका है।

2. अतः उक्त आलोक में **भगवानपुर प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि0, प्रखंड– भगवानपुर हाट, जिला– सीवान** के स्थगित निर्वाचन कार्यक्रम को अधिसूचना संख्या– 1803 दिनांक 27.07.2026 के क्रम में स्थगन के स्तर से निम्नवत् निर्धारित किया जाता है–

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन प्रक्रिया जारी रखते हुए संशोधित कार्यक्रम का निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रकाशन	09.11.2026 (सोमवार)
(ii)	मतदान, अगर आवश्यक हो	18.11.2026 (बुधवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(iii)	मतगणना	18.11.2026 (बुधवार) (मतदान के तुरंत पश्चात)
(iv)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	20.11.2026 (शुक्रवार)

3. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में भगवानपुर प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि0, के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय–3 की कंडिका – (1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), भगवानपुर हाट इसका अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 11.11.2026 तक प्राधिकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र ई०18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे। इसके लिए अधिसूचना संख्या– 1803 दिनांक 27.07.2026 के परिशिष्ट–1 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

P.T.O.

6. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 20.11.2026 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 134–142 पर देखा जा सकता है।

7. अधिसूचना संख्या 1803 दिनांक 27.07.2026 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

3.11.26

(कयूम अंसारी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः 2493 पटना/ दिनांक 04-11-26

प्रतिलिपि : ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

3.11.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः 2493 पटना/ दिनांक 04-11-26

प्रतिलिपिः प्रमंडलीय आयुक्त, सारण/जिला पदाधिकारी सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), सीवान/पुलिस अधीक्षक, सीवान/उप विकास आयुक्त – सह–नोडल पदाधिकारी (स०स०), सीवान/जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीवान/प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), भगवानपुर हाट, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3.11.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः 2493 पटना/ दिनांक 04-11-26

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक, होम गार्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.11.21

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः 2493 पटना/ दिनांक 04-11-26

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.11.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः 2493 पटना/ दिनांक 04-11-26

प्रतिलिपिः प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

3.11.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः 2493 पटना/ दिनांक 04-11-26

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/परामर्शी/अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा शाखा, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री वेद प्रकाश, आईटी प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वेबसाईट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

3.11.26

संयुक्त सचिव।